पत्रिका

सीएस से शपथ पत्र में मांगा जवाब

डीएसपी की नीली बत्ती कार के बोनट पर बर्थडे सेलिब्रेट पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

पत्रिका कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

अंबिकापुर. कुछ दिन पूर्व बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी की नीली बत्ती वाली कार के बोनट पर बैठकर उनकी पत्नी द्वारा स्टंट करने वीडियो वायरल हुआ था। स्टंट को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इसे जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले में चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई की, शपथपत्र के साथ जवाब दें। केस की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे था। उन्होंने अंबिकापुर स्थित सरगवां पैलेस होटल में अन्य महिलाओं के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इसका वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में फरहीन अपने डीएसपी पति की नीली बत्ती कार की बोनट पर बैठकर केक काटते व स्टंट करते दिख रहीं थीं। गाड़ी के गेट पर अन्य युवतियां खतरनाक तरीके से लटकी हुई दिखाई दे रहीं थीं। वीडियो वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने जांच की। कार क्रमांक सीजी 15 ईएफ 3978 के चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया है।

'इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, जवाब दें'

पुलिस अफसर की पत्नी की स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो को जनहित याचिका मान सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, शपथपत्र के साथ जवाब दें।

06/07/2025 | Ambikapur | Page : 1
Source : https://epaper.patrika.com/